न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 151/2016 (225 आरटीए) सिमरथनाथ वगै. बनाम गिरधारीराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00099)

1 सिमरथनाथ पुत्र श्री शंकरनाथ,
2 अमरनाथ पुत्र श्री शंकरनाथ,
3 दाखुड़ी पत्नी स्व. श्री शंकरनाथ
सभी जातियान जोगी, निवासीगण नायकों एवं चौकीदारों की ढाणी, रड़ोद, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 गिरधारीराम पुत्र श्री किसनाराम गुर्जर निवासी गुजरों की ढाणी, पालड़ी राणावतां, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
2 मिठूनाथ पुत्र श्री मिश्रीनाथ जाति जागी, निवासी नायकों की ढाणी लवारी प्याउ के पास, रड़ोद, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
3 भूमिधारी जरिए तहसीलदार, भोपालगढ़।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ दिनांक 07.10.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 12/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 18.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 12/2016 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2016 के विरुद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 12/2016 पेश कर कथन किया कि मौजा पालड़ी राणावतां की सरहद में शंकरनाथ के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 622/1 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा आई हुई है। इसी के पास ही खसरा नंबर 622 मिठूनाथ के खातेदारी में दर्ज है। खसरा नंबर 622 काफी बड़ा रकबा राज था, कब्जे के आधार पर खसरा नं. 622 व 622/1 आंटित किया गया। इन खेतों की बीच की माठ को माह दिसंबर 2015 में खुर्दबुर्द कर दिया गया जिसके कारण सीमा का कोई ज्ञान मौके पर नहीं हो रहा है एवं यहां यह भी बताया कि खसरा नं. 622 के खातेदार मिठूनाथ ने 10 बीघा भूमि प्रत्यर्थी सं. 1 को दिनांक 28.09.2105 को बेचान कर दी। यह भी कथन किया कि आवंटित सुदा भूमि की तरमीम राजस्व नक्शों में नहीं हुई है जिसके कारण रेस्पोडेंट्स, अपीलांट्स/वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं तथा इस भूमि पर काबिज होना चाहते है तथा तरमीम भी अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं। अंत में अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई। उक्त कथनों के साथ प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिए नोटिस तलब किया गया। जिन्होंने संयुक्त रूप से जवाब इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि खसरा नं. 622 के पूर्वी भाग में खसरा नं. 622/1 आया हुआ है। जहां पर प्रार्थीगण काबिज व काश्त हैं। नए क्रेता अपनी क्रयशुदा भूमि पर काबिज व काश्त है। यह भी कथन किया कि तरमीम हेतु सक्षम कार्यालय में कार्यवाही नहीं की है न ही अप्रार्थीगण ने दोनों खसरों के मध्य माठ को खुर्द बुर्द नहीं किया है। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। दोनो पक्षों की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2016 के जरिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मनमाने रूप से खारिज कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपील मीमो में

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2016 विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरीत होने से काबिले निरस्त है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपना विधिक मस्तिष्क उपयोग किए आलोच्य आदेश पारित किया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि दोनों खसरों के बीच माठ को माह दिसंबर में खुर्द बुर्द कर दिया एवं मध्य की माठ अब मौके पर नहीं हैं तथा मनमाने रूप से तरमीम करवाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी आलोच्य आदेश यह कहते हुए पारित कर दिया कि इसके लिए अलग से कार्यवाही करनी चाहिए जबकि विवादित मामलों में तहसीलदार उपरोक्त कृत्य नहीं कर सकता, न ही उन्हें क्षेत्राधिकार है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला मानने में एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनने एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को नहीं होने को गलत रूप से माना है जबकि प्रथम दृष्टया मामला की व्याख्या जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है उस व्याख्या के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी को बखूबी प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही बनता है तथा निश्चित तौर से अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही हो गई है क्योंकि जो पत्रावली पर तथ्य आये हैं उसके अनुसार प्रार्थी के खातेदारी की भूमि को खुर्द बुर्द किया जा रहा है तथा जहां प्रार्थी काबिज व काश्त है वहां से उसे हटाया जा रहा है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने केवल बेचाननामें को अधार मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि बेचाननामे का होने या नहीं होने का प्रभाव हस्तगत प्रार्थना पत्र पर नहीं पड़ता है क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का आधार ही अलग था। उस आधार की ओर ध्यान अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 07.10.2016 जो प्रकरण संख्या 12/2016 में पारित किया गया है उसे अपास्त किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

5 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसर नं. 622/1 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की है जिस पर प्रार्थीगण का शांति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है एंव जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणिया भी बनी हुई हैं। वादग्रगस्त भूमि मूल खसरा नंबर 622 के पूर्वी भाग में स्थित है। प्रार्थीगण ने स्व. शंकरनाथ के प्रथम श्रेणी के वारिसान को प्रार्थना पत्र में संयोजित नहीं किया है इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित होने के

अधिकारी नहीं हैं। मूल खसरा नं. 622 के पूर्वी भाग में शंकरनाथ की खातेदारी भूमि है, पश्चिमी भाग में मिठुनाथ की खातेदारी भूमि खसरा नं. 622 रकबा 13 बीघ भूमि स्थित है मिठूनाथ ने अपनी खातेदारी भूमि में से 10 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 28.09.2015 में दर्शाये गए पड़ोसियान के मध्य वक्त खरीद से कब्जा है। अप्रार्थी सं. 1 अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कार्य करता आया है। मिठूनाथ ने अपनी खातेदारी भूमि से 10 बीधा भूमि अप्रार्थी सं. 1 को बेचान कर दी, बेचान की गई भूमि के पड़ोस पूर्व में शंकरनाथ की भूमि है पश्चिम में धोकलराम गुर्जर वगै. व सुभाष स्वामी की भूमि है। उत्तर में इसी खसरे में करण दान को दान की गई 3 बीघा भूमि है, दक्षिण में कटाणी रास्ता है। अप्रार्थी सं. 1 वक्त खरीद से उक्त भूमि पर अभिलिखित खातेदार के रूप में स्थापित कब्जा काश्त है। वकील रेस्पो. ने आगे कथन किया कि खसरा नं. 622 व 622/1 के मध्य में वर्षों पुरानी माठ मौके पर कायम है मौके पर देखने से स्पष्ट है कि खसरा नं. 622 व 622/1 के मध्य वर्षों से सीमा कायम है जिसे अप्रार्थी सं.1 ने कतई खुर्द बुर्द नहीं किया है। अप्रार्थीगण को पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था। प्रार्थीगण द्वारा स्व. शंकरनाथ के वारिसान को संयोजित नहीं करने का कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य था। खसरा नं. 622/1 के खातेदार अपने कब्जे अनुसार पत्थरगढ़ी करवाते हैं तो अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 की खरीदशुदा कब्जाशुदा भूमि पर कब्जा करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है था जिसमें किसी प्रकार का राहत पाने का अधिकारी नहीं था। इस प्रकार प्रार्थी–अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का बिंदु उसके पक्ष में नहीं पाया गया। एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट–प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण–अपीलांट के प्रार्थना पत्र को पूर्ण विवेचन करते हुए खारिज फरमाया है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं है। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन किया है कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 गिरधारीराम ने अप्रार्थी सं. 2 मिठूनाथ से मौजा पालड़ी राणावतां तहसील भोपालगढ़ में स्थित उसकी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 622 रकबा 13 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। उक्त बेचाननामे के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 में वर्णन किया है कि मिठूनाथ व शंकरनाथ अपनी–अपनी खातेदारी भूमि में दर्ज भूमि पर खातेदार के रूप में शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे हैं जिससे यह स्पष्ट है कि मिठूनाथ के द्वारा अपने खातेदारी भूमि में से जमीन का बेचान करने पर अप्रार्थी सं. 1 भी उसी भूमिपर खातेदार दर्ज होकर कब्जा काश्त में आया जिसका उल्लेख रजिस्टर्ड बेचाननामा में भी किया हुआ है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर दखलंदाजी का कोई अंदेशा नहीं हैं। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी अपने कब्जा काश्त एवं पड़ोस का वर्णन नहीं किया है तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के पद सं. 6 में भी दोनों खसरों अर्थात खसरा नं. 622 व 622/1 के मध्य माठ होने का उल्लेख किया है एवं अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 622 व 622/1 की मध्य माठ को खुर्द बुर्द करने का भी तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कभी कोई शिकायत या मुकदमा सक्षम अधिकारी या कार्मिक के समक्ष दर्ज नहीं करवाया जाना पाया गया है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि का सीमांकन व तरमीम का कार्य नियमानुसार तहसील स्तर से आवेदन कर संपादित करवा सकते हैं जिस हेतु अलग से कोई वाद की आवश्यकता नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भी संपूर्ण सत्य कथनों पर आधारित नहीं हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1 खसरा नं. 622 का अभिलिखित सहखातेदार होने तथा मौके पर खसरा नं. 622 व 622/1 के मध्य माठ कायम होने व उसके खुर्द बुर्द का कोई अंदेशा/आशंका प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया माामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होने साबित हुआ है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया गया है।

9 अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण का सूक्ष्मता से

अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने यह निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 07.10.2016 जो प्रकरण सं. 12/2016 बअनुवानियत सिमरथनाथ बनाम गिरधारीराम में पारित को अपास्त किए जाने का आदेश फरमाया जावे। चूंकि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2016 के द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जा चुका है इसलिए इस आदेश के तहत किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है अतः इस आदेश को अपास्त करने से कोई विशेष प्रभाव इस प्रकरण पर नहीं पड़ेगा। प्रार्थना पत्र की स्टेज पर इस प्रकरण में कोई प्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। खसरा नं. 622 व 622/1 के मध्य माठ को खुर्द बुर्द करने का बिंदु विचाराधीन दावे में साक्ष्य एवं उसके विवेचन के बाद ही तय किया जा सकता हैं। अतः यह नयायालय उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है तदनुसार अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2016 यथावत रखा जाता है।

18/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 18.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर